अध्याय-IV

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय - IV
अनुपालन लेखापरीक्षा

नगर विकास एवं आवास विभाग

4.1 ब्याज और जुर्माने का परिहार्य व्यय

कर्मचारी भविष्य निधि में वैधानिक अंशदान का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करने में नगर परिषद्, सहरसा की विफलता के फलस्वरूप दंडात्मक शुल्क एवं ब्याज के रुप में ₹1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, सहपठित भविष्य निधि योजना, 1952 की कंडिका 30 और 38 के प्रावधानों के अनुसार, सीधे नियोजित कर्मचारियों के साथ–साथ ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में, भविष्य निधि अंशदान के साथ प्रशासनिक शुल्क[32] भुगतान करने की जिम्मेदारी प्रधान नियोक्ता की है। कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में अंशदान मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता[33] (यदि कोई हो) के कुल योग का दस प्रतिशत होना है। आगे, यह नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह ई.पी.एफ. पेंशन योजना और बीमा योजना के लिए कर्मचारी अंशदान/वैधानिक देय राशि की कटौती कर्मचारी के वेतन से करे और वसूली गयी राशि को 15 दिनों के अंदर नियोक्ता के हिस्से के साथ, ई.पी.एफ. योजना 1952 की कंडिका 38 के अनुसार निधि में जमा करे। इसके अलावा, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7Q और 14B में निर्दिष्ट दरो[34] पर, विलंबित प्रेषण पर क्रमशः ब्याज और जुर्माना लगाने का प्रावधान है ।

नगर परिषद्, सहरसा के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2022) में पाया गया कि जनवरी 2016 से नवंबर 2020 एवं जनवरी 2021 की अवधि के लिए, कर्मचारियों के दैनिक वेतन से ई.पी.एफ., कर्मचारी पेंशन योजना एवं बीमा योजना में अंशदान[35], 58 महीने तक के विलंब से, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान ई.पी.एफ. कार्यालय, भागलपुर द्वारा संधारित ई.पी.एफ. खाते में प्रेषित किया गया। परिणामस्वरूप, ई.पी.एफ. कार्यालय ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत नोटिस (अगस्त 2021) जारी करने के बाद, ₹ 37.60 लाख के ब्याज के साथ नुकसान हेतु ₹ 76.78 लाख का जुर्माना लगाया ***(परिशिष्ट– 4.1)***।

---

[32] *प्रशासनिक शुल्क का अर्थ है वेतन का ऐसा प्रतिशत (मूल वेतन, महंगाई भत्ता, प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, और उस पर स्वीकार्य खाद्य रियायतों का नकद मूल्य) जो एक बहिष्कृत कर्मचारी के अलावा अन्य कर्मचारियों को देय हो, और जिसके संबंध में भविष्य निधि अंशदान देय है जैसा कि केन्द्र सरकार केंद्रीय बोर्ड के परामर्श से और अपने सामान्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए निधि के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करे।*

[33] *प्रतिधारण भत्ता का मतलब किसी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारी को किसी भी अवधि के दौरान, जिसमें फर्म काम नहीं कर रही है, उसकी सेवाओं को बनाए रखने के लिए देय भत्ता है।*

[34] *नियोक्ता 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज या ऐसी उच्च दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है और ई.पी.एफ. अधिनियम, 1952 के अनुसार क्षति हेतु 5 प्रतिशत (दो महीने से कम विलंब) से लेकर 25 प्रतिशत (छः महीने एवं उससे अधिक के विलंब) तक।*

[35] *नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का अंशदान।*

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के ई.पी.एफ. खातों में अंशदान जमा करने में हुए विलंब के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए नगर परिषद् को ई.पी.एफ. कार्यालय द्वारा (माह सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 तक) कई मौके दिए गए। हालांकि, वह अंशदान के विलंबित प्रेषण के लिए कोई कारण बताने में विफल रहा।

परिणामस्वरूप, नगर परिषद् ने राज्य सरकार से प्राप्त स्टाम्प ड्यूटी से आवंटित राजस्व (नगरपालिका के राजस्व का एक स्रोत) से ई.पी.एफ. कार्यालय को ₹ 1.14 करोड़[36] की दंड राशि का भुगतान (जनवरी 2022) ब्याज एवं जुर्माना के रुप में किया।

नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी ने जवाब में बताया (मई 2022) कि जनवरी 2016 से कर्मचारियों का अंशदान समय–समय पर नगरपालिका बोर्ड की स्वीकृति के बाद ई.पी.एफ. कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अंशदान ई.पी.एफ. कार्यालय को विलंब से प्रेषित किया गया था, जिसके कारण अंततः ₹1.14 करोड़ की दंड राशि ब्याज और जुर्माना के रुप में लगाया गया।

इस प्रकार, वैधानिक प्रावधानों का पालन करने और ई.पी.एफ. कार्यालय को अंशदान का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करने में नगर परिषद् की विफलता के फलस्वरूप ब्याज और जुर्माने के रुप में ₹ 1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया था, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2023 तक)।

4.2 कपटपूर्ण भुगतान

सौर ऊर्जा संयंत्रों (रूफ टॉप) की आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाली एक निजी फर्म को भुगतान करते समय नगर परिषद्, शेखपुरा की जांच करने में विफलता के कारण ₹ 91.14 लाख का फर्जी भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, तकनीकी बोली में एक पात्र फर्म को अनियमित रुप से अयोग्य घोषित करने के कारण नगर परिषद् को ₹ 1.37 करोड़ की हानि हुई।

बिहार वित्तीय नियमावली (बी.एफ.आर.) के नियम 126 में प्रावधानित है कि सभी प्राधिकारी जिन्हें लोकहित में सामग्रियों के क्रय हेतु वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं, लोक अधिप्राप्ति से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता, पारदर्शिता लाने हेतु जिम्मेदार एवं उत्तरदायी होगें। आगे, बी.एफ.आर. का नियम 12 निर्धारित करता है कि प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी को न केवल स्वयं को यह आश्वस्त करना चाहिए कि लोक धन एवं सामग्रियों के अपव्यय और हानि से रक्षा के लिए, केवल विभागीय संगठन में सुव्यवस्थित आंतरिक जांच हेतु पर्याप्त उपबंध हैं, बल्कि विहित आंतरिक जांच प्रभावी रूप से कार्यरत हैं। सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) के माध्यम से सामग्रियों के क्रय हेतु सामान्य नियम और शर्तों के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एम.एस.ई.), जो प्राथमिक उत्पाद श्रेणी के निर्माता हैं या प्राथमिक सेवा श्रेणी के सेवा प्रदाता हैं और उपयुक्त दस्तावेजों के साथ इस आशय की विशिष्ट पुष्टि करते हैं, निविदा प्रस्तुत करने के समय अग्रधन जमा (ई.एम.डी.) करने से मुक्त हैं।

नगर परिषद्, शेखपुरा के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2022) में पता चला कि 40–40 किलोवाट क्षमता के चार 'सौर ऊर्जा संयंत्र (रूफ टॉप) ओ.एन.जी.आर.आई.डी सिस्टम (एस.पी.पी.ओ.एस.) तीन फेज' के क्रय हेतु जिसकी अनुमानित लागत ₹ 2.50 करोड़ थी, जेम पोर्टल के माध्यम से एक निविदा अप्रैल 2021 में आमंत्रित की गयी थी।

[36] *'ब्याज शुल्क' ₹ 37.60 लाख और 'दंडात्मक शुल्क' ₹ 76.78 लाख*

निविदा प्रक्रिया में 11 फर्मों ने भाग लिया और केवल तीन फर्मों को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया और उनकी बोलियाँ वित्तीय निविदा के लिए खोली गईं। 'ग्रीन इंडिया एनवायरन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (जी.आई.ई.आई.)' फर्म ने एस.पी.पी.ओ.एस. का सबसे कम दर बताया और इसलिए ₹ 49 लाख प्रति एस.पी.पी.ओ.एस. की दर से ₹ 1.96 करोड़ में चार एस.पी.पी.ओ.एस. की आपूर्ति और अधिष्ठापन के लिए कंपनी को एक कार्यादेश (28 अप्रैल 2021) दिया गया। कार्यादेश के अनुसार चार एस.पी.पी.ओ.एस. की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्यादेश की तिथि से 20 दिनों के भीतर अर्थात 18 मई 2021 तक किए जाने थे।

फर्म (जी.आई.ई.आई.) ने दो एस.पी.पी.ओ.एस. की आपूर्ति की और नगर परिषद् ने 18 जून 2021 को कंपनी (जी.आई.ई.आई.) को ₹ 91.14 लाख[37] का भुगतान किया। लेखापरीक्षा ने नगर परिषद् के कनीय अभियंता के साथ एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया (29 जून 2022) और पाया कि दो एस.पी.पी.ओ.एस. टाउन हॉल और नगर परिषद् भवन की छत पर अधिष्ठापित थे। शेष दो एस.पी.पी.ओ.एस. की आपूर्ति जून 2022 तक अर्थात कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नगर परिषद् ने दो एस.पी.पी.ओ.एस. की लागत राशि ₹ 91.14 लाख का भुगतान (30 जून 2021) एक फर्म 'अनवी रिवाइवल एंटरप्राइजेज (ए.आर.ई)' को किया, जिसने एस.पी.पी.ओ.एस. आपूर्ति की निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था और नगर परिषद् ने कंपनी को कोई आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया था। इस प्रकार नगर परिषद् ने एक अनधिकृत फर्म को फर्जी भुगतान किया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया (जुलाई 2022) कि तकनीकी जानकारी के अभाव में गलती से भुगतान दो अलग–अलग कम्पनियों को कर दिया गया। आगे बताया गया कि फर्म के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उसे काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि भुगतान उस फर्म को किया गया था जिसने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था।

यह भी पाया गया कि फर्म 'सनस्टोन सोलर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एस.एस.एस.पी.एल.)' जिसने निविदा में भाग लिया था, ने चार एस.पी.पी.ओ.एस की आपूर्ति के लिए ₹ 59.30 लाख का न्यूनतम दर बताया था, लेकिन तकनीकी निविदा में अग्रधन राशि (ई.एम.डी.) जमा नहीं करने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया जबकि फर्म को कोई ई.एम.डी. जमा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह एम.एस.ई श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत थी। फर्म ने एम.एस.ई. के रूप में, अन्य तीन कम्पनियों की तरह जिन्हें तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया था, पंजीकृत फर्म होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।

यदि नगर परिषद्, शेखपुरा ने तकनीकी निविदा में कंपनी 'एस.एस.एस.पी.एल' को अयोग्य घोषित नहीं किया होता, तो इसके द्वारा चार एस.पी.पी.ओ.एस. के क्रय हेतु केवल ₹ 59.30 लाख का व्यय किया जाता और चार एस.पी.पी.ओ.एस. के क्रय पर ₹ 1.37 करोड़ की बचत की जा सकती थी। लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया (जुलाई 2022) कि ई.एम.डी. छूट की शर्तों की जानकारी न होने के कारण फर्म को तकनीकी निविदा में अयोग्य घोषित किया गया था। कार्यपालक

[37] *कुल राशि – ₹ 98,00,000 (49 लाख X 2) – ₹ 1,96,000 (जी.एस.टी.) – ₹ 4,90,000 (परफॉरमेंस सिक्योरिटी) = ₹ 91,14,000*

पदाधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अग्रधन (ई.एम.डी.) प्रस्तुत करने से छूट के नियम और शर्तें जेम पोर्टल पर क्रय के सामान्य नियम और शर्तों में विस्तृत रुप से वर्णित थे।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नगर परिषद्, शेखपुरा में संबंधित अधिकारियों ने एक अनधिकृत फर्म को ₹ 91.14 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया। इसके अलावा, उन्होंने सामग्रियों के क्रय हेतु वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया और जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्रियों के क्रय हेतु सामान्य नियम और शर्तों का पालन नहीं किया, जिसके फलस्वरुप नगर परिषद् को ₹ 1.37 करोड़ की हानि हुई।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया था, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2023 तक)।